

सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण,  
विकास आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096  
टेलीफोन: 022 - 28294799, फ़ैक्स:28291754

\*\*\*\*\*

फा.सं. सीपज़-सेज़/ईएमएस/डब्ल्यूटी/जीसी/67/2014-15/वॉल्यू-II/

दिनांक: 09.3.2017

**गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु निविदा सूचना ।**

सीपज़ - सेज़ प्राधिकरण निम्नलिखित गैर खतरनाक ठोस अपशिष्टों के तिमाही आधारपर निपटान हेतु मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित करता है:-

क्रमांक	विवरण
1	मिश्रित कचरा
2	मिश्रित अपशिष्ट
3	मिश्रित प्लास्टिक
4	कार्डबोर्ड / कार्टन
5	कांच
6	लकड़ी
7	एलडी / एचडी प्लास्टिक
8	मेटल स्क्रेप
9	थर्मोकॉल
10	व्हाइट पेपर
11	कलर पेपर

उत्पादों की दिनांक 06.01.2017 से 07.03.2017 तक औसत मात्रा निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ब्यौरे	औसत मात्रा	यूनिट
1	कार्डबोर्ड	31300	केजी
2	मिश्रित प्लास्टिक	1330	केजी
3	मिश्रित अपशिष्ट	205955	केजी
4	व्हाइट पेपर	11150	केजी
5	लकड़ी	10885	केजी
कुल जोड़		260620	केजी

(II) निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:-

1. निविदा दिनांक 05 अप्रैल, 2017 से 04 जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए स्वीकृत की जाएगी ।



2. लिफाफा जिसमें कोटेशन रखा गया हो, के ऊपर यह लिखा जाए - **गैर खतरनाक ठोस अपशिष्टों के लिए सीप्ज़ - सेज़ निविदा** । लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से एजेन्सी का नाम लिखा जाए ।
3. **लिफाफे में निम्नलिखित चीज़ें रखी जाएं:**
  - (क) वित्तीय कोटेशन में उपर्युक्त दर्शाए गए प्रत्येक आइटम के लिए अलग - अलग प्रति किलो दर का उल्लेख किया जाए । तथापि, वज़न किए गए पिछले तीन महीनों के औसत अपशिष्ट के आधार पर परिकलित कुल मूल्य के आधार पर निविदा स्वीकृत की जाएगी ।
  - (ख) सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण निधी के पक्ष में बयाना राशि जमा के रूप में 50,000/- (पचास हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा ।
  - (ग) पैन तथा टिन की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां ।
4. सर्विस सेंटर के भूमितल पर रखी हुई निविदा पेटी में निविदाएं डाली जाएगी ।
5. यदि निविदादाता निविदा की शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो निविदा समिति द्वारा निविदा को अस्वीकृत किया जाएगा ।

**(II) कोटेशन खोले जाने के संबंध में:-**

कोटेशन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख दिनांक 27.3.2017 को मध्याह्न 12.00 बजे तक है । मुहरबंद कोटेशन विकास आयुक्त कार्यालय के सम्मेलन हॉल में उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे बोलीदाताओं तथा अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा समिति द्वारा खोले जाएंगे ।

**(III) संविदा की शर्तें:-**

1. निविदा प्राप्तकर्ता को संविदा दिए जाने के 3 दिनों के अंदर 2,00,000/- (दो लाख रूपए मात्र) जमा करने होंगे ।
2. जमा की जाने वाली 2,00,000/- (दो लाख रूपए मात्र) की राशि के समाप्त होने पर निविदा प्राप्त करने वाले को बाद में अपशिष्ट उठाने के लिए अग्रिम जमा करना होगा ।
3. वेट तथा टीसीएस का प्रभार अलग से देना होगा ।

15/1/17

4. अपशिष्ट / कचरा का निपटान इस प्रकार करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कचरा कुंडी हमेशा साफ रहे । पाटन क्षेत्र के निकट कचरा / अपशिष्ट जमा नहीं होना चाहिए ।
5. प्रत्येक एकांतर दिनों पर कचरा / अपशिष्ट का निपटान किया जाए ।
6. यदि संविदाकार प्रत्येक एकांतर दिनों पर कचरा / अपशिष्ट उठाने में विफल रहता है तो उसको 5000/- (पांच हजार रूपए मात्र) का जुर्माना देना होगा तथा यदि एक सप्ताह से अधिक समय तक कचरा / अपशिष्ट नहीं उठाता है तो उसकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी तथा संविदाकार को काली सूची में डाला जाएगा । नए कोटेशन मंगाए बिना अगले बोलीदाता को ठेका दे दिया जाएगा ।
7. गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट के वजन का निर्धारण करने पश्चात उस दर से जिसके अनुसार कोटेशन स्वीकृत की गई है प्राधिकरण बिलिंग अनुभाग द्वारा बिल बनाया जाएगा । बिल पर लागू होने वाले अन्य करों का भी सफल बोलीदाता को भुगतान करना होगा ।

*Vijay*  
*MS*

(विजय प्रकाश शुक्ल)

संपदा प्रबंधक /

संयुक्त विकास आयुक्त

सीप्ल - सेज़ प्राधिकरण